रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102020-222752
CG-DL-E-26102020-222752

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3380] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 2020/कार्तिक 4, 1942
No. 3380] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2020/KARTIKA 4, 1942

India Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3811(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), सं. का.आ. 3288(अ), तारीख 10 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

(i) पैरा 2 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2क. पैरा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य 9 अप्रैल, 2021 की अवधि या नए प्राधिकरण मध्य प्रदेश के गठन, इनमें से जो भी पहले हो, तक पदधारण करेंगे ।";

(ii) पैरा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6क. पैरा 6 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य 9 अप्रैल, 2021 की अवधि या नई राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्य प्रदेश के गठन, इनमें से जो भी पहले हो, तक पदधारण करेंगे ।"।

[फा. सं. जे-11013/63/2007-आईए.II(I) पीटी.I]

अरविंद नौटियाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), सं. का.आ. 3288(अ), तारीख 10 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2020

S.O. 3811(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3288(E), dated the 10th October, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: -

> "2A. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the Chairman and Members of the Authority, Madhya Pradesh shall hold office for a term up to the 9th April, 2021 or till the constitution of new Authority, Madhya Pradesh, whichever is earlier.";

(ii) after paragraph 6, the following paragraph shall be inserted, namely: -

> "6A. Notwithstanding anything contained in paragraph 6, the Chairman and Members of the SEAC, Madhya Pradesh shall hold office for a term up to the 9th April, 2021 or till the constitution of new SEAC, Madhya Pradesh, whichever is earlier.".

[F. No. J-11013/63/2007-IA.II(I) Pt.I]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3288(E), dated the 10th October, 2017.

ImageCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.10.26 22:36:47 +05'30'